न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./103/2023

1. रामदेद पुत्र लादू जाति रावत निवासी हीरापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. मोहम्मद सद्दीक पुत्र इशाक मोहम्मद जाति फकीर मुसलमान निवासी ग्राम भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मोहम्मद इमरान पुत्र इशाक मोहम्मद जाति फकीर मुसलमान निवासी ग्राम भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. खेरूनिशा पत्नी इशाक मोहम्मद जाति फकीर मुसलमान निवासी ग्राम भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. उगमा पुत्र बख्ता जाति गुर्जर निवासी ग्राम भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–14.06.2024

उपस्थित

1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी– श्री मोहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय ए भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 593 में दर्ज खसरा नम्बर 7774/2915 रकबा 0.64, खसरा नम्बर 7849/2912 रकबा 0.05 कुल किता 02 कुल रकबा 0.69 हैक्ट और खाता संख्या 1821 में दर्ज खसरा नम्बर 2913 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 2915 रकबा 0.64, खसरा नम्बर 2916 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 8186/2914 रकबा 0.45 एवं खसरा नम्बर 8187/2914 रकबा 0.01 कुल किता 05 कुल रकबा 1.51 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 04 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद युसुफ द्वारा वकालतनामा पेश कर पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से जवाब पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 को नियमानुसार सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थीगणों द्वारा पत्रावली में खसरा नम्बर 7774/2915 व 7849/2912 की हाल मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिशल किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 जरिये अप्रार्थी अभिभाषक जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 श्री मोहम्मद युसुफ द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 7774/2915 व 7849/2912 पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 के पिता ईशाक मोहम्मद की खातेदारी कब्जा काश्त थी तथा वर्तमान में ईशाक मोहम्मद के वारिसान अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के कब्जे काश्त में है। वकील अप्रार्थी द्वारा आगे कथन किये कि उक्त आराजी प्रार्थी के नाम फर्जी तरीके से स्थानान्तरित हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0का0अधि0 को सव्यय खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस पुनः निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 7774/2915 व 7849/2912 सन् 2012 में ही अप्रार्थीगणों के पिता ईशाक मोहम्मद द्वारा बैचान कर दी गई थी जिसका समय-समय से अन्यत्र बैचान होकर अतः में रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी दर्ज हुई, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाना प्रार्थी का कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढ़ी की जावे। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम भिनाय के खाता संख्या 593 औरा 1821 संवत 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, तहसीलदार भिनाय से प्राप्त मौका रिपोर्ट, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय ए भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 593 में दर्ज खसरा नम्बर 7774/2915 रकबा 0.64, खसरा नम्बर 7849/2912 रकबा 0.05 कुल किता 02 कुल रकबा 0.69 हैक्ट और खाता संख्या 1821 में दर्ज खसरा नम्बर 2913 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 2915 रकबा 0.64, खसरा नम्बर 2916 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 8186/2914 रकबा 0.45 एवं खसरा नम्बर 8187/2914 रकबा 0.01 कुल किता 05 कुल रकबा 1.51 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)